यूनीक डसिेबलिटिी आईडी स्कीम

हाल ही में सामाजकि न्याय और अधकिारति मंत्रालय ने राज्यों को 75 ज़लिों में वकिलांग व्यक्तयिों (पीडब्ल्यूडी) के लयि **वशिष्टि दव्यांगता आईडी योजना (UDID)** के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लयि कहा है।

- ग्रामीण वकिास मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत "भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के आधार पर चुने गए" ज़लिों में अपने 90-दविसीय अभयिान के हस्सि के रूप में यूडीआईडी कार्यक्रम का चयन कयिा है।
- इस अभयिान का उद्देश्य 75 ज़लिों में 17 केंद्रीय योजनाओं का 100% कवरेज करना है।

UDID:

- **परचिय:**
  - दव्यांग व्यक्तयिों के लयि वशिष्टि आईडी परयिोजना को दव्यांग हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दव्यांग व्यक्त िको एक वशिष्टिता पहचान पत्र जारी करने की दृष्ट िसे लागू कयिा जा रहा है।
  - इसका उद्देश्य सरकार द्वारा अपने वभिन्नि मंत्रालयों और उनके वभिागों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं तथा अवसरों का लाभ उठाने के लयि दव्यांगजनों को नया यूडीआईडी कार्ड/वकिलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- **महत्त्व:**
  - यह परयिोजना न केवल वकिलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में **पारदर्शतिा, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहति करेगी बल्क एिकरूपता भी सुनश्चिति** करेगी।
  - यह परयिोजना कार्यान्वयन के सभी **स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, ज़लिा स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थयिों की भौतकि एवं वत्तिीय प्रगत िकी ट्रैकगि** को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

दव्यांगता क्या है?

- कसिी भी तरह से या सीमा के भीतर कसिी गतवधि िको करने के लयि कसिी भी प्रतबिंध या क्षमता में कमी, जो क िहान िके परणामस्वरूप मानव के लयि सामान्य मानी जाती है, को **दव्यांगता** कहा जाता है।
- दव्यांगता वशिेष रूप से भारत जैसे वकिासशील देशों में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनकि स्वास्थ्य समस्या है।
  - दव्यांगता के मामले को संवेदनशील बनाने के लयि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दसिंबर को अंतर्राष्ट्रीय दव्यांगता दविस के रूप में चहि्नति कयिा गया है।
- पछिले वर्ष जारी वकिलांगता पर **राष्ट्रीय सांख्यकिी कार्यालय** की रपिोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग **2.2% आबादी कसिी न कसिी तरह की शारीरकि या मानसकि अक्षमता** के साथ रहती है।
  - भारत में दव्यांगजन अधकिार अधनियिम, 2016 ने नःिशक्त व्यक्त ि(समान अवसर, अधकिारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियिम, 1995 का स्थान लयिा।

दव्यांगजनों से संबंधति योजनाएँ:

- सुगम्य भारत अभयिान: दव्यांगजनों के लयि सुगम वातावरण का नरि्माण
- सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि के लयि वकिलांग व्यक्तयिों को सहायता योजना-एपडि
- दीनदयाल वकिलांग पुनर्वास योजना
- दव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फैलोशपि
- वशिष्टि दव्यांग पहचान योजना
- अंतर्राष्ट्रीय दव्यांगजन दविस
- राष्ट्रीय मानसकि स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/unique-disability-id-scheme